न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार,(स0मा0)

पीठासीन अधिकारी:– ज्योत्सना खेड़ा आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
01/2019	11.01.2019	18.08.2025

1. भोरया पुत्र काना जाति बैरवा निवासी वीरपुर तहसील खण्डार जिला स0मा0। वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य तहसीलदार खण्डार जिला स0मा0।
2. सीताराम पुत्र रामनिवास जाति ब्राहमण निवासी वीरपुर तहसील खण्डार।
3. सीयाराम पुत्र रामनिवास (फोत)
   i शान्ति देवी पत्नि सीयाराम शर्मा निवासी वीरपुर हा.नि. बालेर तहसील खण्डार।
   ii बालू पुत्र सीयाराम शर्मा निवासी वीरपुर हा.नि. बालेर तहसील खण्डार।
   iii रामकिशन पुत्र सीयाराम शर्मा निवासी वीरपुर हा.नि. बालेर तहसील खण्डार।
   iv राधाकिशन पुत्र सीयाराम शर्मा निवासी वीरपुर हा.नि. बालेर तहसील खण्डार।
   v जानकी पुत्री सीयाराम शर्मा पत्नि रामजीलाल शर्मा हा.नि. नायपुर तहसील खण्डार।
4. सूरजमल पुत्र रामनिवास जाति ब्राहमण निवासी वीरपुर तहसील खण्डार।
5. [illegible]नारायण पुत्र रामनिवास जाति ब्राहमण निवासी वीरपुर तहसील खण्डार।

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स.मा.) सत्यमेव जयते

वादपत्र कुर्की से मुक्त करने तथा कब्जा दिलाने तथा स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :–

श्री धर्मेन्द्र चौधरी, अंजनी कुमार तेहरिया अधिवक्ता वादी की ओर से

निर्णय

1. वादी द्वारा वाद पत्र इस आशय का पेंश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

   - वादी ने भूमि खसरा नम्बर 95 रकबा 3–18 बीघा किस्म बारानी–I स्थित ग्राम वीरपुर तहसील को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 5000/– रूपयें में छीतर पि.मु. हाबूडया बैरवा निवासी ग्राम वीरपुर तहसील खण्डार से विधिवत दिनांक 21.03.1985 को क्रय की थी। जिसका विक्रय पत्र उसी दिन उप पंजीयक खण्डार के यहां पंजीयन करा दिया तथा विक्रेता छीतर पि.मु. हाबूडया बैरवा ने उक्त भूमि का कब्जा वादी को सम्भला दिया था, तभी से उक्त भूमि पर वादी का निरन्तर कब्जा चला आ रहा थी। उक्त भूमि वादी के नाम खातेदारी में दर्ज हो चुकी है।
   - इस भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक का कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का नहीं है। इस भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का कभी कब्जा नहीं रहा इसके बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 2 से 5 पिता रामनिवास ने उक्त भूमि को कुर्क कराने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर उक्त भूमि न्यायालय एसीएम सवाईमाधेपुर ने आदेश दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jyotsna Khera
Date: 2025.09.08 12:00:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

28.08.1986 को धारा 146 सीआरपीसी में कुर्क करने का आदेश दिया था, जिसकी पालना में प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि कुर्की की हुई है जो अभी तक कुर्की में है।

- वादी अनुसूचित जाति का कमजोर वर्ग का सदस्य है, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 से 5 स्वर्ण जाति के है। वादी की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को किसी भी प्रकार अन्तरण नहीं की जा सकती ।

- उक्त वादग्रस्त भूमि का धारा 145 सीआरपीसी का प्रकरण संख्या 16/85 का निर्णय दिनांक 19.12.2001 को न्यायालय एसीएम सवाईमाधोपुर से हो चुका जिसमें यह माना कि दोनो पक्ष अपने हको का निर्धारण सक्षम न्यायालय से करावे तब तक उक्त भूमि रिसीवरी में रहेगी।

- उक्त भूमि वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है तथा प्रतिवादी गण का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का नहीं है उक्त भूमि को कुर्की से मुक्त कराकर रिसीवरी की जमा राशि वादी प्राप्त करने का अधिकारी है तथा उक्त भूमि का कब्जा वादी प्राप्त करने का अधिकारी है।

- वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से उक्त भूमि कुर्की से मुक्त करने तथा कुर्की की जमा राशि वादी को देने के लिए दिनांक 17.01.2017 को निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी से कहा कि सक्षम न्यायालय द्वारा आदेश लेकर आओं तब कुर्की से मुक्त होगी। इस कारण वादी के लिए यह वादपत्र पेश करना आवश्यक हो गया है।

- वादी ने उक्त भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनांक 21.03.1985 को क्रय की तब उक्त विक्रय पत्र मे वादग्रस्त भूमि का कब्जा विक्रेता द्वारा वादी को सम्भलाने का स्पष्ट उल्लेख है तब से लेकर दिनांक 28.08.1986 तक वादी का उक्त भूमि पर निरन्तर कब्जा था, उसके उपरान्त कब्जा रिसीवर तहसीलदार खण्डार ने वादी से लेकर तब से यह भूमि रिसीवरी में चली गई।

- उक्त भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है उक्त भूमि वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

- वाद कारण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 17.01.2017 को उक्त भूमि कुर्की से मुक्त करने से मना करने तथा कुर्की की राशि वादी को लौटाने से मना करने पर ग्राम वीरपुर तहसील खण्डार में उत्पन्न हुआ।

- यह है कि भूमि की अवस्थिति तथा पक्षकारों के निवास स्थान को देखते हुए इस वाद के विचारण का श्रीमान के न्यायालय को पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

- वादी का वादपत्र डिकी इस आशय की फरमाई जावें कि वादपत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि का वादी खातेदार काश्तकार होने से उक्त भूमि कुर्की से मुक्त की जावें तथा भूमि का कब्जा वादी को सम्भलाने तथा प्रतिवादी तहसील खण्डार के यहां जमा रिसीवरी राशि का भुगतान वादी को दिलाया जावें।

- वाद व्यय वादी को प्रतिवादीगणों से दिलाया जावे तथा अन्य अनुतोष जो वादी के हक में हो प्रतिवादीगण से दिलाये जावें।

2. वादी का वादपत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 02.07.2018 के द्वारा इस न्यायलय द्वारा पूर्व मे पारित आदेश दिनांक 22.06.2017 को अपास्त किया जाकर दोनों पक्षों को विधिवत रूप से सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का नये सिरे से विधि अनुसार निस्तारण किये जाने हेतु आदेश माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Jyotsna Khera
Date: 2025.09.08 12:00:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

अजमेर द्वारा दिया गया। माननीय न्यायालय की अनुपालना में पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को जर्ये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की तामिल अदल प्राप्त हुई एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 बावजूद तामिल उपस्थित नही होने पर प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 03 की मृत्यु हो जाने पर कायम मुकाम प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 3 की विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 (i) से 3 (v) की तामिल पुनः रजिस्ट्रर्ड सम्मन जारी किये गयें। प्रतिवादीगणों को जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन जारी किये जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर शेष प्रतिवादीगणो के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

3. वादी की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश किये गयें जिसमें PW1 के रूप में स्वयं वादी भोरय पुत्र काना बैरवा, वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र PW2 के रूप में रामनिवास पुत्र बंशी बैरवा एवं PW3 के रूप में सीताराम पुत्र सुखदेव बैरवा बयान गवाह करवाये गयें। वादी के बयान मौखिक लिए तथा नकल खातेदारी जमाबन्दी सम्बत् 2072–2075 वांके ग्राम वीरपुर पेश की गई जो प्रदर्श–1, नामान्तकरण संख्या 531 पटवार हल्का वीरपुर प्रदर्श–2 एवं माननीय न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश सवाईमाधोपुर आदेश दिनांक 20.08.2002 प्रदर्श–3 पर प्रदर्शित करवायें।

4. विद्वान वकील वादी की ओर से लिखित बहस पर पेश की गई। जिसमें निवेदन किया गया है कि वादी ने भूमि खसरा नम्बर 95 रकबा 3–18 बीघा किस्म बारानी–I स्थित ग्राम वीरपुर तहसील को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 5000/– रूपयें में छीतर पि.मु. हाबूडया बैरवा निवासी ग्राम वीरपुर तहसील खण्डार से विधिवत दिनांक 21.03.1985 को क्रय की थी। जिसका विक्रय पत्र उसी दिन उप पंजीयक खण्डार के यहां पंजीयन करा दिया तथा विक्रेता छीतर पि.मु. हाबूडया बैरवा ने उक्त भूमि का कब्जा वादी को सम्भला दिया था, तभी से उक्त भूमि पर वादी का निरन्तर कब्जा काश्त था। उक्त भूमि वादी के नाम खातेदारी में दर्ज हो चुकी है। इस भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक का कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का नहीं है। इस भू मिपर प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का कभी कब्जा नहीं रहा इसके उपरानत भी प्रतिवादी संख्या 2 से 5 पिता रामनिवास ने उक्त भूमि को कुर्क कराने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर उक्त भूमि न्यायालय एसीएम सवाईमाधेपुर ने आदेश दिनांक 28.08.1986 को धारा 146 सीआरपीसी में कुर्क करने का आदेश दिया था, जिसकी पालना में प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि कुर्की की हुई है जो अभी तक कुर्की में है। वादी अनुसूचित जाति का कमजोर वर्ग का सदस्य है, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 से 5 स्वर्ण जाति के है। वादी की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को किसी भी प्रकार अन्तरण नहीं की जा सकती। उक्त वादग्रस्त भूमि का धारा 145 सीआरपीसी का प्रकरण संख्या 16/85 का निर्णय दिनांक 19.12.2001 को न्यायालय एसीएम सवाईमाधोपुर से हो चुका जिसमें यह माना कि दोनो पक्ष अपने हको का निर्धारण सक्षम न्यायालय से करावे तब तक उक्त भूमि रिसीवरी में रहेगी। उक्त भूमि वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है तथा प्रतिवादी गण का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का नहीं है इसलिए वादी उक्त भूमि को कुर्की से मुक्त कराकर रिसीवरी की जमा राशि वादी प्राप्त करने का अधिकारी है तथा उक्त भूमि का कब्जा वादी [illegible] तथ उक्त भूमि का कब्जा वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी द्वारा [illegible]पत्र में स्वयं का साक्ष्य शपथपत्र व रामनिवास पुत्र बंशी बैरवा [illegible] सीताराम पुत्र सुखदेव बैरवा का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया है [illegible] के वादपत्र को ताईद किया है। सभी गवाहान द्वारा इस तथ्य को ताईद किया है कि [illegible]क्त विवादित आराजी वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है। वादी द्वारा उक्त वादपत्र में नकल जमाबन्दी नामान्तरण नकल

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स. मा.)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Jyotsna Khera
Date: 2025.09.08 12:00:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

व नकल निर्णय दिनांक 20.08.2002 न्यायालय एसडी कोर्ट सवाईमाधोपुर की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है। वादपत्र में प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। प्रतिवादीगण की और से कोई साक्ष्य व दस्तावेज वादपत्र में पेश नही किया गया है। वादी का वादपत्र डिक्री फरमाया जाना न्यायोचित है।

5. पत्रावली का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया। पत्रावली में शामिल नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–75 वांके ग्राम वीरपुर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 95 रकबा 3–18 बीघा हाबूड़या पुत्र बुद्धा जाति बैरवा की खातेदारी में दर्ज है। पत्रावली में शामिल प्रदर्शित दस्तावेज– 2 प्रमाणित छायाप्रति नामान्तकरण संख्या 531 के अनुसार खातेदार छीतर पि0मु0 हाबूड़या जाति बैरवा द्वारा वादग्रस्त आराजी वादी भोरया पुत्र काना जाति बैरवा को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 21.03.1985 के द्वारा बेचान कर देने पर उक्त आराजी का नामान्तकरण वादी के हक में दिनांक 10.07.1985 को स्वीकार हुआ है। न्यायालय ए.सी.एम. सवाईमाधोपुर द्वारा वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित प्रकरण संख्या 16/1985 में दिनांक 19.12.2001 को पारित निर्णय की निगरानी न्यायालय विशिष्ठि न्यायाधीश एस0सी सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 20.08.2002 (प्रदर्श–3) द्वारा करते हुए वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 95 रकबा 3–18 बीघा वांके ग्राम वीरपुर पर वादी का कब्जा मानते हुए उक्त रकबे का कब्जा तथा रिसीवरी अवधि में उक्त रकबे की फसल नीलामी से प्राप्त रकम नीलामी में आवश्यक खर्चे को काट कर वादी भोरंया पुत्र काना जाति बैरवा को लौटाये जाने के आदेश दिये गये है। साक्ष्य शपथ पत्र PW2 व PW3 से प्रतित होता है कि वादी द्वारा उक्त आराजीयात को क्रय की गई दिनांक से निरन्तर रूप से काश्त करता चला आ रहा है। उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार खण्डार को निर्देश दिये जाते है कि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन/अन्य आदेश ना हो तो न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश एस0सी0 सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.08.2002 की परिपेक्ष्य में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 95 रकबा 3–18 बीघा वांके ग्राम वीरपुर का कब्जा एवं रिसीवरी अवधि में प्राप्त आय से नीलामी के आवश्यक खर्चे काटकर वादी भोंरया पुत्र काना जाति बैरवा निवासी वीरपुर को लौटाई जावें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ज्योत्सना खेड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार(स.मा.)

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स.मा.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jyotsna Khera
Date: 2025.09.08 12:00:48 IST
Reason: SelfAttested